25/3/21 पत्रावली पेश हुई, वकील उभयपक्ष द्वारा बहस प्रस्तुत की गई, वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया. प्रतिवादीगण द्वारा इकबाल दावा पेश किया है। अतः मुताबिक सहमति वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया जाए. नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा होने पर डिक्री जारी हो, निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया. पत्रावली नत्थीबद्ध हो।

5/4/21 निर्णय दिनांक 25/3/21 की पालना में स्टाम्प ड्यूटी प्रस्तुत होने पर पत्रावली आज दिनांक पेशी में ली गई, पत्रावली में पर्चा डिक्री जारी है. पत्रावली पुनः नत्थीबद्ध हो. पत्रावली दायरा पंजिका के क्रम से कम की जाकर निर्णय की सूची में शामिल हो।

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.

वादपत्र संख्या 050/2020
अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मनदीप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।

.....वादी

व ना म

1. राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. रविन्द्र कौर पुत्री श्री राजेन्द्रपाल सिंह पत्नी श्री बलजिन्द्र सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कमलदीप कौर पुत्री श्री राजेन्द्रपाल सिंह पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच हाल श्याम नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर।

..... प्रतिवादीगण

उपस्थित– श्री संजय जनवेजा (वादी)
श्री रोबिन गुम्बर (प्रतिवादी–1 व 3)
पैरोकार राज (प्रतिवादी–4)

दिनांक 25.03.2021

–निर्णय–

वाद पत्र के तथ्यों के अनुसार प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता है, प्रतिवादी संख्या 2 व प्रतिवादी संख्या 3 वादी की सगी बहिनें है। वादी के पिता राजेन्द्रपाल सिंह के नाम से वाके चक 12 एच एच तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/11 के मुरब्बा नम्बर 5, 11, 24 व 28 की कुल 12.650 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता मय खाला कृशि भूमि में से 3/10 हिस्सा यानि 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि व इसी चक 12 एच एच के खाता संख्या 64/55 के मुरब्बा नम्बर 49 की 3.162 हैक्टेयर नहरी मय खाला कुल 6.957 है0 कृषि भूमि दर्ज कागजात माल है। उक्त समस्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक सम्पत्ति है, जो कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से जद्दी जायदाद के रूप में प्राप्त हुई है। नकल जमाबन्दी संलग्न है। इस प्रकार उक्त वर्णित कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1, प्रतिवादी संख्या 2 व 3 तथा वादी की पैतृक सम्पत्ति हैं तथा जद्दी जायदाद होने के कारण उक्त वर्णित पैतृक सम्पत्ति में वादी व प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ हक बनता है। प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का वादी से बहुत स्नेह व लगाव है तथा उन्होने अपने हिस्सा का मौखिक रूप से हक परित्याग वादी के पक्ष में किया हुआ है। प्रतिवादी संख्या 1 ने अपनी उक्त भूमि का घरू मौखिक बंटवारा वादी के साथ किया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को घरू बंटवारा अनुसार चक 12 एच एच तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/11 के मुरब्बा नम्बर 5, 11, 24 व 28 की कुल 12.650 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता मय खाला कृषि भूमि में से 3/10 हिस्सा यानि 3.795 हैक्टेयर भूमि दी हुई है, जिस पर वादी काबिज चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा वादी को कहा हुआ है कि जब भी तुम चाहोगे, सहमति से बंटवारा तुम्हारे नाम करवा दूंगा। इस विश्वास पर वादी ने उक्त रकबा में से अपने हिस्सा में आए रकबा में बड़ी मेहनत करके व काफी रूपया खर्च करके सुधार कार्य करवाया है। कुछ दिन पूर्व वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वह वादी के हिस्सा की भूमि वादी के नाम से अमल दरामद करवा देवे, पहले तो प्रतिवादी संख्या 1 टाल मटोल करता रहा तथा दिनांक 20.09.2020 को प्रतिवादी संख्या 1 ने वादी को उसके हिस्से की भूमि देने से इन्कार कर दिया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 1, वादी को हक व न्याय नही देना चाहता है। उक्त हालातों मे उक्त

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

जददी जायदाद में से वादी अपने अधिकारों की घोषणा करवाना चाहता है। इसलिए यह दावा लाना आवश्यक हो गया है। यही वाद कारण है। उक्त आराजी अदालतवाला के अधिकार क्षेत्र में होने के कारण वाद पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार के अन्तर्गत आता है तथा उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है। प्रतिवादी संख्या 4 लैण्ड होल्डर होने के कारण आवश्यक पक्षकार है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर निम्न प्रकार डिक्री किया जावे:—

(1) चक 12 एच एच तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/11 के मुरब्बा नम्बर 5, 11, 24 व 28 की कुल 12.650 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता मय खाला कृशि भूमि में से 3/10 हिस्सा यानि 3.795 हैक्टेयर भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) का वादी को खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से दर्ज करवाई जाकर अलग लगान कायम करने का आदेश फरमाया जावे।

(2) अन्य कोई अनुतोष जो न्यायालय उचित समझे।

प्रतिवादी संख्या 1 व 3 अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 4 राज्य पक्ष की ओर से राज्यप्रतिनिधि उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 2 को भेजे गए रजि0 सम्मन की विधिवत तामील हो चुकी है, मगर प्रतिवादिया संख्या 2 न्यायालय में उपस्थित नहीं आई। इसलिए उसके खिलाफ दिनांक 01.03.2021 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा स्वंय उपस्थित आकर इकबालिया जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वाद पत्र की चरण संख्या 1 में अंकित तथ्यों से कोई विरोध नहीं है। वाद पत्र की चरण संख्या 2 स्वीकार है। यह सही है कि प्रतिवादी संख्या 1 वादी का पिता, प्रतिवादी संख्या 2 वादी की बहिन है। इस मद में वर्णित भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से भूमि होना भी स्वीकार है। यह सही है कि उक्त भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को अपने पूर्वजों से प्राप्त हुई है और पैतृक सम्पति है। परिवार की वंशावली सही है अतः स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 3 में अंकित तथ्य स्वीकार हैं। यह सही है कि उक्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है व प्रतिवादी संख्या 1 का अपने पूर्वजों से विरासत में प्राप्त हुई है। यह भी सही है कि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 का वादी के साथ अगाध स्नेह व प्यार है तथा अपने हक व हिस्सा का परित्याग वादी के पक्ष में कर चुकी है। इस भूमि में वादी का जन्म से हक बनने का तथ्य भी स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 4 में अंकित तथ्य स्वीकार हैं। उक्त भूमि में वादीगण का जन्म से हक व हिस्सा बनता है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त पैतृक भूमि का मौखिक रूप से घरू बंटवारा करके वादी को चक 12 एच एच तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/11 के मुरब्बा नम्बर 5, 11, 24 व 28 की कुल 12.650 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता मय खाला कृषि भूमि में से जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 3/10 हिस्सा यानि 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि बंटवारा में दी हुई है, उक्त भूमि पर वादी काविज चला आ रहा है। वाद पत्र की चरण संख्या 5 स्वीकार है। वाद पत्र की चरण संख्या 6 में वर्णित तथ्य आंशिक रूप से स्वीकार हैं। प्रतिवादी संख्या 1 की ऐसी मंशा नहीं थी कि वह वादी को उसके हिस्सा की भूमि ना दे, मगर कोरोना महामारी के चलते प्रतिवादी संख्या 1 ने शहर आकर कार्यवाही करने से इन्कार किया था। वाद पत्र की चरण संख्या 7 विधिक है। वाद पत्र की चरण संख्या 8 विधिक है।

अतः जवाब वाद पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वाद पत्र में चाहा गया अनुतोष वादी को प्रदान किया जावे तथा उसे चक 12 एच एच तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/11 के मुरब्बा नम्बर 5, 11, 24 व 28 की कुल 12.650 है0 भूमि में से प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज 3/10 हिस्सा यानि 3.795 हैक्टेयर कृषि भूमि का खातेदार घोषित किया जावे तथा उक्त भूमि वादी के नाम से अमल दरामद की जाकर अलग खाता कायम किया जावे। इसमें प्रतिवादी संख्या 1 व 3 पूर्ण सहमत है।

प्रतिवादी संख्या 4 राज्य पक्ष की ओर से पैरोकार राज द्वारा जवाब वाद पत्र दिनांक 11.02.2021 को प्रस्तुत किया गया। जिसके अनुसार बिन्दु संख्या 1,3,4,5,6, को

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner

सिद्ध करने का भार वादी पर है। बिन्दु संख्या 2 राजस्व रिकार्ड में दर्ज सीमा तक स्वीकार है, शेष तथ्य सिद्ध करने का दायित्व वादी पर है। बिन्दु संख्या 7,8 कानूनी है। वादी अपने परिवार में सदस्यों के हिस्से व हक प्राप्ति का अधिकारी है। अतः राज्य हित को ध्यान में रखते हुए निर्णय फरमाया जावे। पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा, प्रतिवादी संख्या 8 द्वारा प्रस्तुत जवाब के परिदृश्य विवाद्यको का निर्धारित अपेक्षित नहीं रहा।

अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत बहस सुनी गई।

पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं अभिलेखीय साक्ष्यों क्रमशः चक 12 एच एच, पटवार हल्का 8 एच एच भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोविन्दपुरा की जमाबन्दी सम्बत 2070–2073, चक 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर की जमाबन्दी सम्बत 2033–2036 व नामान्तरणकरण संख्या 8 दिनांक 15.02.1976 का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि उपरोक्त दस्तावेजो के आधार पर प्रश्नगत कृषि भूमि का पैतृक होना सिद्ध होता है। प्रस्तुत बहस का मनन किया गया।

राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल राजस्थान) अधिनियम 1955 के नियम 19 व आदेश 12 नियम 6, आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के अनुसार पारिवारिक समझोता के आधार पर वाद पत्र डिक्री किया जा सकता है, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अनुसार भी पारिवारिक समझौता को अधिक महत्व दिया गया है, इसके अतिरिक्त धारा 89 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अनुसरण में राजीनामा/सहमति नैयायिक प्रकरणों के निस्तारण का एक वैकल्पिक साधन/तरीका है।

आदेश

प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत इकबालिया जवाब दावा/सहमति के आधार पर वादी को निम्न प्रकार से खातेदार घोषित किया जाता है–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी मनदीप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख को चक 12 एच एच तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20/11 के मुरब्बा नम्बर 5, 11, 24 व 28 की कुल 12.650 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता मय वाला कृषि भूमि में से 3/10 हिस्सा यानि 3.795 हैक्टेयर भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है) का खातेदार घोषित किया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि नियमानुसार राजस्व अभिलेख में अमलदरामद करें। उक्त वर्णित भूमि पर ऋण भार की स्थिति पूर्वानुसार रहेगी एवं उक्तानुसार समस्त भूमि का राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाकर अलग अलग लगान कायम किया जावे तथा भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा। खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। नियमानुसार पर्चा डिकी हेतु स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत किए जाने पर आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 25.03.2021 को जारी किया गया।

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

सहायक कलेक्टर एवं कार्यपालक दण्डनायक

Scanned with CamScanner

डिक्री
(ORDER 20 RULE 6-7 CPC)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी – श्री उम्मेद सिंह रतनू , आर.ए.एस.
वादपत्र संख्या 050 / 2020
अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

1. मनदीप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्रपाल सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)। ....वादी

ब ना म

1. राजेन्द्रपाल सिंह पुत्र श्री गुरदयाल सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)।
2. रविन्द्र कौर पुत्री श्री राजेन्द्रपाल सिंह पत्नी श्री बलजिन्द्र सिह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच तहसील व जिला श्रीगंगानगर।
3. कमलदीप कौर पुत्री श्री राजेन्द्रपाल सिंह पत्नी श्री बलजीत सिंह जाति जटसिख निवासी 12 एच एच हाल श्याम नगर, पुरानी आबादी, श्रीगंगानगर।
4. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, श्रीगंगानगर। ...... प्रतिवादीगण

उपस्थित–	श्री संजय जनवेजा	(वादी)
	श्री रोबिन गुम्बर	(प्रतिवादी–1 व 3)
	पैरोकार राज	(प्रतिवादी–4)

दिनांक 05.04.2021

वादपत्र संख्या 050 / 2020
अन्तर्गत धारा 88,188 राज. काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण में न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर द्वारा वादी
प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर
अधिवक्ता श्री संजय जनवेजा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 अधिवक्ता श्री रोबिन गुम्बर
पैरोकार राज प्रतिवादी– 4 की उपस्थिति में आदेश दिया जाता है कि –
वाद वादी स्वीकार किया जाकर वादी मनदीप सिंह पुत्र श्री राजेन्द्रपाल सिंह जाति
जटसिख को चक 12 एच एच तह. श्रीगंगानगर के खाता संख्या 20 / 11 के मुरब्बा
नम्बर 5, 11, 24 व 28 की कुल 12.650 है0 नहरी मय गै0मु0 रास्ता मय खाला कृषि
भूमि में से 3 / 10 हिस्सा यानि 3.795 हैक्टेयर भूमि (जो प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से
दर्ज है) का खातेदार घोषित किया जाता है।अतः डिक्री जारी की जाती है।
खर्चा इस प्रकरण पर हुऐ व्यय मय ब्याज..शून्य.....दर
रुपये ...शून्य ....वास्ते...शून्य. ....वार्षिक ..शून्य .....आज की तिथि से वसूली दिवस तक अदा करें
मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 05 अप्रैल, 2021 को जारी की गयी.

उम्मेद सिंह रतनू / सहायक कलक्टर एवं
(आर.ए.एस.) / कार्यपालक
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

वादी	राशि (00.00)	प्रतिवादी	राशि (00.00)
स्टाम्प वादपत्र	00.00	स्टाम्प वकालतनाम	00.00
स्टाम्प वकालतनाम	00.00	स्टाम्प आवेदनपत्र	00.00
स्टाम्प अभिलेखीय साक्ष्य	00.00	वकील शुल्क	00.00
वकील शुल्क	00.00	व्यय साक्षीगण	00.00
व्यय साक्षीगण	00.00	आयुक्त शुल्क	00.00
आयुक्त शुल्क	00.00	व्यय इजराय	00.00
कुल	**00.00**	**कुल**	**00.00**

उम्मेद सिंह रतनू
(आर.ए.एस.)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
श्रीगंगानगर

Scanned with CamScanner